खास खबरें

मातामंदिर झुग्गी से 14 वर्षीय किशोरी लापता

नप्र, भोपालः टीटीनगर थाना क्षेत्र की मातामंदिर झुग्गी निवासी की 14 वर्षीय पुत्री के लापता होने पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है। किशोरी एक जुलाई को घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। जांच के दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका पर पुलिस ने प्रकरण कायम किया है। मामले की जांच उप निरीक्षक सुदन यादव कर रहे हैं।

रायल पैलेस पार्किंग से बाइक चोरी

मिसरोद थाना क्षेत्र स्थित रायल पैलेस की पार्किंग से राजेश साहू की हीरो मोटरसाइकिल चोरी हो गई। वाहन की कीमत करीब 20 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जेल परिसर की पार्किंग से मोटरसाइकिल चोरी

गांधीनगर थाना क्षेत्र में जेल परिसर की पार्किंग से मयंक की हीरो मोटरसाइकिल चोरी हो गई। वाहन की कीमत करीब 20 हजार रुपये है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

ओरा मॉल के पास कार की टक्कर,चालक पर मामला

शाहपुरा थाना क्षेत्र में ओरा मॉल के पास रचना द्विवेदी की शिकायत पर कार क्रमांक एमपी-04-सीजी-3669 के चालक के खिलाफ तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का मामला दर्ज किया गया है।

दानापानी रोड पर ट्रक की टक्कर

शाहपुरा थाना क्षेत्र के दानापानी रोड पर सतीश कुमार की शिकायत पर ट्रक क्रमांक एमपी-04-जीबी-0581 के चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का मामला दर्ज किया गया है।

गांधीनगर में कार चालक पर केस

गांधीनगर थाना क्षेत्र में विशाल राजपूत की शिकायत पर कार क्रमांक एमपी-04-सीएफ-9171 के चालक के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का प्रकरण दर्ज किया गया है।

कार से 297 क्वार्टर देशी शराब जब्त

शाहजहांनाबाद पुलिस ने शिवकरण पिता लक्ष्मी नारायण (36) को कार एमपी-04-वाईएल-6153 से 297 क्वार्टर देशी शराब का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा। पुलिस ने शराब और वाहन जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

दुकान के सामने मारपीट, राहुल यादव सहित दो पर केस

शाहपुरा थाना क्षेत्र में यासिका मेवाती की शिकायत पर राहुल यादव और एक अन्य के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।

विक्रम सिंह पर मारपीट का मामला

भोपाल। एमपी नगर थाना क्षेत्र में दीपेश मेवाड़ा की शिकायत पर विक्रम सिंह के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया गया है।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोकभवन में सौजन्य भेंट की।

ननि की कार्रवाई, 91 प्रकरणों में 20,300 रुपए जुर्माना वसूला

भोपाल। नगर निगम ने शहर में साफ-सफाई व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने, सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग करने, संपत्ति विरूपण तथा सी एंड डी वेस्ट खुले में फेंकने वालों के खिलाफ गुरुवार को विशेष अभियान चलाया।

कार्रवाई के दौरान विभिन्न जोन क्षेत्रों में कुल 91 प्रकरण दर्ज कर 20 हजार 300 रुपये का स्पॉट फाइन एवं जुर्माना वसूला गया। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर की गई कार्रवाई में जोन-13 की टीम ने 21 मामलों में 10 हजार रुपये, जोन-14 ने 37 मामलों में 4,100 रुपये, जोन-15 ने 25 मामलों में 2,500 रुपये और जोन-16 ने आठ मामलों में 3,700 रुपये का जुर्माना वसूला। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

स्कूल, रोजगार और धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य शासन की प्राथमिकता वाले विषयों पर समयबद्ध और अभियान आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना की समीक्षा बैठक में उन्होंने शिक्षा, रोजगार, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जुलाई तक चल रहे स्कूल चलें अभियान के दौरान अधिक से अधिक सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया जाए और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण पूरा किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र से इसका लाभ मिल सके। उन्होंने सांदीपनि विद्यालयों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग की कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स की भर्ती प्रक्रिया तेज करने और अग्निवीरों को मध्यप्रदेश पुलिस के विशेष सशस्त्र बल में आरक्षक पदों पर भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा। मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने भेल को आवंटित अनुपयोगी भूमि वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से समन्वय करने तथा यूनियन कार्बाइड की रासायनिक कचरे से मुक्त भूमि पर भव्य स्मारक निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुजरात के भुज स्थित संग्रहालय का अध्ययन कर उसी तर्ज पर प्रस्ताव तैयार करने को कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि की निःशुल्क रजिस्ट्री के लिए 53 हजार गांवों में विशेष अभियान चलाने, शिविर आयोजित करने और प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही अमरकंटक, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, दतिया, ओरछा और मैहर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर धर्मशाला, सराय, अन्न क्षेत्र और अन्य जनसुविधाओं के निर्माण के लिए धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की बात कही।

बैठक में राम वन गमन पथ, श्रीकृष्ण पाथेय, चित्रकूट और ममलेश्वर विकास परियोजनाओं में तेजी लाने, उज्जैन के नए हवाई अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन का प्रदेशभर में शुभारंभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका सृजन और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के विकास को गति देने के उद्देश्य से विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी-जी आरएएम-जी] वका गुरुवार को मध्यप्रदेश में भव्य शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन की ओर से जन सम्मेलन-सह-लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर मिशन का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव से किया। उन्होंने कहा कि इस मिशन के माध्यम से पिछड़ी पंचायतों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, आधारभूत ढांचे के विकास और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

राज्य स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तकनीक और पारदर्शिता पर आधारित यह पहल सुशासन को मजबूत करेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आत्मनिर्भरता और विकास के नए अवसर सृजित करेगी। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में मिशन की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी गई। इनमें 125 दिन की रोजगार गारंटी, डिजिटल कार्यप्रणाली, पारदर्शी भुगतान व्यवस्था, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तथा ग्राम स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना निर्माण शामिल हैं। इस दौरान विकास कार्यों का शुभारंभ, सूचना प्रदर्शनी और सफलता की कहानियों का भी प्रदर्शन किया गया।

नर्मदा संरक्षण के लिए 'नमन मिशन' बनेगा, हर माह होगी नर्मदा समग्र की बैठक

नप्र, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदा नदी के संरक्षण और समग्र विकास के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित नर्मदा समग्र की बैठक में उन्होंने कहा कि नर्मदा प्रदेश की जीवनरेखा है, इसलिए इसे निर्मल और अविरल बनाए रखने के साथ नर्मदा परिक्रमा पथ को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि अब नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने आयोजित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा जयंती पर प्रदेश के 18 जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही नदी संरक्षण अभियान से समाज, विशेषकर युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। परिक्रमा मार्ग पर संकेतक लगाए जाएंगे और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। मां नर्मदा के संरक्षण और घाटी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 'नमन मिशन' तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री इसकी साधारण सभा के अध्यक्ष होंगे। मिशन के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2026-27 का रोडमैप तैयार कर लिया गया है। अमरकंटक में जैव विविधता प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। वहीं नर्मदा कोष पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग नर्मदा घाटी क्षेत्र में 2.70 लाख पौधे लगाएगा तथा ओंकारेश्वर और अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए भी विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

डॉक्टर्स डे पर वृक्षारोपण चिकित्सकों का सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सुख-शांति भवन, नीलबड़ में वृक्षारोपण एवं डॉक्टर सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में माथुर वैश्य महिला मंडल, पुराना भोपाल की महिलाओं और ब्रह्माकुमारी बहनों ने मिलकर 31 पौधों का रोपण किया तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

वरिष्ठ राजयोगिनी बीके नीता दीदी ने कहा कि वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन, स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण का आधार हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लेना चाहिए।

इस अवसर पर समाजसेवी डॉ. संजीव, डॉ. रचना (एमडी, आयुर्वेद), डॉ. प्रियंका और बीके डॉ. देवयानी सहित अन्य अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भाजपा चौक मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर, राजकुमार खत्री एवं बड़ी संख्या में समाजसेवी महिलाओं की उपस्थिति रही। समापन पर पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति और मूल्यनिष्ठ जीवन अपनाने का सामूहिक संकल्प लिया गया।

जिलाबदर आरोपी के मामले में लापरवाही के आरोप

टीआई शुक्ला पर पचास हजार और हवलदार पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में एक जिलाबदर बदमाश के मामले में कथित लापरवाही पर पुलिस आयुक्त ने संबंधित थाना प्रभारी टीआई के.जी. शुक्ला पर 50 हजार रुपये तथा हवलदार रामभरत सुमन पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कार्रवाई विभागीय जांच के बाद की गई है।

जानकारी के अनुसार, टीआई के.जी. शुक्ला पर जिलाबदर बदमाश यासीन मलिक के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं करने और उसे कथित रूप से संरक्षण देने के आरोप लगाए गए थे। यह भी आरोप है कि बदमाश की गतिविधियों की सूचना देने पहुंचे एक युवक की बात पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई।

मामला पुलिस आयुक्त के संज्ञान में पहुंचने के बाद संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया। इसके बाद थाना स्तर पर कार्रवाई तेज हुई और जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में यासीन मलिक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

यासीन मलिक पर जिलाबदर अवधि के दौरान मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़ जैसी घटनाओं में शामिल होने के आरोप भी हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि जिलाबदर, निगरानीशुदा और आदतन अपराधियों के विरुद्ध तत्काल एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं, इस मामले में विभागीय कार्रवाई को पुलिस महकमे में अनुशासन और जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है।

शराब के नशे में मारपीट, अज्ञात आरोपी की तलाश

भोपाल। छोलामंदिर थाना क्षेत्र में प्रदीप मीना की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ शराब के नशे में गाली-गलौज और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

विवाहिता ने पति और सास पर प्रताड़ना का आरोप लगाया

महिला थाना में ज्योति ग्वाले ने पति रजत ग्वाले और सास कुसुम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है।

ननि का अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध कब्जों पर कार्रवाई तेज

नप्र, भोपालः नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ गुरुवार को व्यापक अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से ठेले, गुमठियां, पान पार्लर, बोर्ड, कुर्सियां, टेबल, स्टूल, लोहे का गेट और अन्य सामान हटाकर जब्त किया गया। अभियान सीएम हेल्पलाइन, महापौर हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर चलाया गया। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कोलार बंजारी, होशंगाबाद रोड, शाहपुरा, एमपी नगर, आईएसबीटी, भोपाल टॉकीज, हमीदिया रोड, काजी कैंप, रविंद्र भवन, वीआईपी रोड सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई की। इस दौरान बंद कॉलोनी का अवैध गेट खुलवाया गया, सर्विस रोड पर बनी अवैध दीवार हटाई गई तथा आवागमन में बाधा बने वाहनों को भी हटवाया गया।

मप्र के ई-नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस रजत पुरस्कार

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ई-नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत साइबर सुरक्षा श्रेणी में रजत पुरस्कार (सिल्वर अवॉर्ड) से सम्मानित किया गया है।

जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह सम्मान नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे को प्रदान किया।आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि विभाग ने आधुनिक तकनीक, साइबर सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन और डेटा संरक्षण के उच्च मानकों को अपनाकर नागरिकों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रतिबद्धता के कारण विभाग की डिजिटल प्रणालियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और भविष्य में भी सुरक्षित एवं अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रहेंगे।

आम सूचना

(मकान नंबर एल. आई. जी-239, भारती निकेतन, कैलाश नगर हुजूर भोपाल (म.प्र.) 462023 के संयुक्त रूप से नामांतरण के संबंध में)

मैं सर्व साधारण को सूचित करती हूँ कि मैं रजनी चौधरी पत्नी स्व. तारा चंद्र चौधरी निवासी-मकान नंबर -239, एल. आई. जी भारती निकेतन, कैलाश नगर, हुजूर भोपाल (म.प्र.) 462023 उक्त मकान जो कि मेरे (रजनी चौधरी पत्नी स्व. तारा चंद्र चौधरी) के नाम से वार्ड नं-58, जोन कमांक-12, नगर निगम भोपाल मे नामांतरण होकर पंजीकृत है। जिसका संपत्तिकर खाता क्रमांक d-2016: 23-90872-000077 एवं प्रॉपर्टी आई. डी 1003765214 है, उक्त मकान को मै अपने व अपने उत्तराधिकारी संन्तानो अर्थात प्रार्थीया 1-रजनी चौधरी पत्नी स्व. तारा चंद्र चौधरी (2-पुत्री सरिता चौधरी, आयु वयस्क, आधार नंबर 6449 3023 4955 3-पुत्र सूरज कुमार चौधरी आयु वयस्क, आधार नंबर 4129 8448 1318 4- पुत्र सागर कुमार चौधरी आयु वयस्क, आधार नंबर 3419 2763 5110 पुत्र / पुत्री स्व. तारा चंद्र चौधरी) उक्त चारो के संयुक्त नाम से वार्ड नंबर-58, जोन कमांक-12 नगर निगम भोपाल मे नामांतरण करवा रही हूँ इस हेतु उक्त नामांतरण के लिए मै शीघ्र आवेदन/कार्यवाही कर रही हूँ। उक्त भूखण्ड के संबंध में किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियो, संस्था, सोसायटी, बैंक, हाउसिंग फायनेंस संस्था, वित्तीय संस्थान, फर्म, शासकीय व गैर शासकीय, कार्यालयों को किसी भी प्रकार की कोई आपति हो या उक्त वर्णित मकान कहीं अनुबंध, विक्रय, दान, बंधक, गिरवी, बैंक ऋण, वसीयत, हिबा, हस्तांतरण इत्यादि हो तो वह इस सूचना प्रकाशन से 10 (दस) दिन की समयावधि में मेरे पते में मय दस्तावेज सहित स्वयं उपस्थित होकर या अपने अभिभाषक के माध्यम से लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में आपत्ति प्रस्तुत न करने के उपरान्त मै उपरोक्त मकान का उक्त संयुक्त रूप से नामांतरण करवाने के लिए स्वतंत्र रहूंगी । व ऐसी स्थिति में कोई आपति /दावा मान्य नहीं होगा।

रजनी चौधरी पत्नी स्व. तारा चंद्र चौधरी
वर्तमान पता - कायस्थ लॉ चेंबर पुरानी विधान सभा के सामने भोपाल म.प्र.
मो नं 8878418993

785

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल में स्थित भवन क्रमांक एल.आई.जी.-106 मण्डल द्वारा श्री अमित जोशी आत्मज स्व. श्री रघुनाथ नारायण राव जोशी के नाम से नामांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन पंजीयक कार्यालय से दिनांक 06/02/1984 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 29/01/2016 को पंजीकृत किया गया है। उक्त सम्पत्ति की लीज समयावधि दिनांक 30/05/2042 तक वैध है। श्री अमित जोशी आत्मज स्व. श्री रघुनाथ नारायण राव जोशी द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती सुषमा साहू पत्नी श्री मनोज साहू को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय दिया है। जिसका विक्रय विलेख का पंजीयन पंजीयक कार्यालय में दिनांक 29/06/2026 को निष्पादित किया गया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, परिचय पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति श्रीमती सुषमा साहू पत्नी श्री मनोज साहू के नाम उक्त सम्पत्ति हस्तांतरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

784

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, बसंत कुंज, ई-8 अरेरा कालोनी, भोपाल में स्थित भूखण्ड क्रमांक 65 मण्डल द्वारा (1) श्री प्रकाशचंद्र गंगराडे आत्मज श्री मांगीलाल गंगराडे (2) श्रीमती शन्थि सुन्दरम पत्नी श्री सुशील कुमार सिंह एवं श्री एम. आर. सुन्दरम आत्मज श्री रामास्वामी अय्यर के नामों से हस्तांतरित है, उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 15/05/2001 को एवं दिनांक 28/12/2001 को पंजीकृत है। इनमें से (2) श्रीमती शन्थि सुन्दरम पत्नी श्री सुशील कुमार सिंह एवं श्री एम. आर. सुन्दरम आत्मज श्री रामास्वामी अय्यर द्वारा उक्त सम्पत्ति का अपना हिस्सा (2) श्री प्रदीप कुमार आत्मज श्री राजनंदन सिंह एवं श्रीमती सुप्रिया सिंह पत्नी श्री प्रदीप कुमार को विक्रय कर विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 17/02/2010 को पंजीकृत है। लेकिन उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण मण्डल से नही हो पाया। आवेदकों द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, परिचय पत्र, विक्रय विलेखों की छायाप्रति, एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति में से श्रीमती शन्थि सुन्दरम पत्नी श्री सुशील कुमार सिंह एवं श्री एम. आर. सुन्दरम आत्मज श्री रामास्वामी अय्यर का नाम विलोपित कर श्री प्रकाशचंद्र गंगराडे आत्मज श्री मांगीलाल गंगराडे के साथ (2) श्री प्रदीप कुमार आत्मज श्री राजनंदन सिंह एवं श्रीमती सुप्रिया सिंह पत्नी श्री प्रदीप कुमार का नाम संयुक्त कर हस्तांतरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति /उत्तराधिकारी/ संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

783

कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
बिंदिया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल
(पंजीयन क्रमांक / डी. आर.बी./733, दिनांक 27.02.1997)
क्र./निर्वा.अधि./2026/03 दिनांक 2.07.2026

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन/विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा, भोपाल को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड शाखा मोतिया पार्क, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 02/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 02/07/2026 से 09/07/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 10/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट/साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(ओ.पी. मालवीय)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बिंदिया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

782

कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल
(पंजीयन क्रमांक / ए. आर.बी./870, दिनांक 20.06.2005)
क्र./निर्वा.अधि./2026/03 दिनांक 2.07.2026

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन / विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा, भारतीय स्टेट बैंक लिंक रोड नं.-1, शिवाजी नगर, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 02/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 02/07/2026 से 09/07/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय-उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 10/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट / साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(मल्लिका राजपुरोहित भार्गव)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

781

कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के. एन. प्रधान स्टेट मॉडल टाउन रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल
(पंजी. क्र./डीआरबी/1460 दिनांक08.09.2020)
क्र./निर्वा.अधि./2026/03 दिनांक 2.07.2026

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन/ विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, शाखा महावीर नगर. भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 02/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 02/07/2026 से 09/07/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 10/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट / साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(मुकेश गुप्ता)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के.एन. प्रधान स्टेट रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

780

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
ईस्टन काउंटी रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था, मर्यादित भोपाल
(पंजी. क./डीआर /बीपीएल /121012 दिनांक 25/06/2026)
क्रमांक /रजि. अ./2026/01 दि. 02/07/2026

सूचना

सूचित किया जाता है कि, संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन विशेष साधारण सम्मिलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था कार्यालय के नोटिस बोर्ड, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, भोपाल, विकास खण्ड फंदा, भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल की शाखा-मिसरोद, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 02/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 02/07/2026 से दिनांक 09/07/2026 तक मुझे कार्यालयीन समय दोपहर 12.00 बजे से 03.00 बजे तक कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, (डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल) जिला भोपाल में सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, (डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल) जिला भोपाल में दिनांक 10/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जावेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(इशा सराफ)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
ईस्टन काउंटी रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था, मर्यादित भोपाल

779

कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
कल्याणी कुंज टावर रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल
(पंजीयन क्रमांक/डी.आर./बी.पी.एल./ 144703, दिनांक 13.08.2024)
क्रमांक/निर्वा.अधि./2026/03 दिनांक 02.07.2026

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन / विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है।अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक शाखा एच.ई.टी. (इन्द्रपुरी), भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 02/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 02/07/2026 से 09/07/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 10/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट / साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(रश्मि चंदानी)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
कल्याणी कुंज टावर रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

778

कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
पटेल नगर रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल
(पंजीयन क्रमांक / डी.आर./बी.पी.एल./ 139523, दिनांक 13.02.2024)
क्रमांक /निर्वा.अधि./2026/03 दि. 02/07/2026

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन/विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा भोपाल, को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड शाखा इन्द्रपुरी (एचईटी), भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 02/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 02/07/2026 से 09/07/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 10/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट/साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(अलका तिग्गा)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पटेल नगर रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

777